न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2021 **दायर दिनांकः 01/01/2021**

उनवान

1. देवेन्द्र नागर आयु 24 वर्ष पुत्र सोहनलाल
2. तुषार नागर आयु 22 वर्ष पुत्र सोहनलाल जातियान धाकड निवासी मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल आयु 45 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 28/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 131 का ख0 न0 209/1231 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 219 का रकबा 2.11 है0, ख0 न0 220/1232 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 515 का रकबा 0.14 है0, ख0 न0 867 का रकबा 1.91 है0 कुल किता 5 का रकबा 4.36 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी [illegible] खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 [illegible] संवत् 2076 ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है जो [illegible] है। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी रामकिशन के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता रामकिशन से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है । जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 16.11.2020 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 16.12.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 131 का ख0 न0 209/1231 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 219 का रकबा 2.11 है0, ख0 न0 220/1232 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 515 का रकबा 0.14 है0, ख0 न0 867 का रकबा 1.91 है0 कुल किता 5 का रकबा 4.36 है0 में हिस्सा 1/6 , 1/6 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 131 की कुल किता 5 की 4.36 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते शामलाती दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। जो प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है, इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व वादी क्रम 1 लगायत 2 का हिस्सा 1/6 –1/6 हिस्सा बनता है। उक्त वाद में वादी क्रम 1 लगायत 2 व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 131 की कुल किता 5 की 4.36 है0 आराजी वादी क्रम 1 ,2 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/6 –1/6 खातेदार कृषक घोषित किया जावें। ग्राम व माल मेरमा तालाब तह0 अटरू की खाता संख्या 131 की कुल किता 5 की 4.36 है0 आराजी में से प्रतिवादी वादी क्रम 1 सोहन लाल ने अपने हिस्से 1/6 की सम्पूर्ण आराजी का हकत्याग अपने सगे पुत्र वादी क्रम 1 देवेन्द्र 2 तुषार नागर के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। इसलिए उक्त आराजी में वादी क्रम 1 देवेन्द्र नागर 2 तुषार नागर का हिस्सा 1/4 –1/4 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामें अनुसार ग्राम मेरमा तालाब कि खाता संख्या 131 की कुल मिता 5 की 4.36 है0 आराजी में वादी क्रम 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

को हिस्सा 1/4 , 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम एंव माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 131 का ख0 न0 209/1231 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 219 का रकबा 2.11 है0, ख0 न0 220/1232 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 515 का रकबा 0.14 है0, ख0 न0 867 का रकबा 1.91 है0 कुल किता 5 का रकबा 4.36 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 131 का ख0 न0 209/1231 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 219 का रकबा 2.11 है0, ख0 न0 220/1232 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 515 का रकबा 0.14 है0, ख0 न0 867 का रकबा 1.91 है0 कुल किता 5 का रकबा 4.36 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाते है। आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना हिस्सा 1/6 अपने पुत्र वादी क्रम 1 व 2 को बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग कर दिया गया है। अतः उक्त आराजी में वादीगण 1 व 2 को 1/4 –1/4 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे व लिखित पर्ची जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनश कुमार मीना (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 05/2021

उनवान

1. देवेन्द्र नागर आयु 24 वर्ष पुत्र सोहनलाल
2. तुषार नागर आयु 22 वर्ष पुत्र सोहनलाल जातियान धाकड निवासी मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल आयु 45 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 131 का ख0 न0 209/1231 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 219 का रकबा 2.11 है0, ख0 न0 220/1232 का रकबा 0.10 है0, ख0 न0 515 का रकबा 0.14 है0, ख0 न0 867 का रकबा 1.91 है0 कुल किता 5 का रकबा 4.36 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाते है। आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6—1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना हिस्सा 1/6 अपने पुत्र वादी क्रम 1 व 2 को बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग कर दिया गया है। अतः उक्त आराजी में वादीगण 1 व 2 को 1/4 —1/4 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)